रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 75] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 7, 2000/चैत्र 18, 1922
No. 75] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 7, 2000/CHAITRA 18, 1922

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2000

विदेशों में संयुक्त उद्यमों और पूर्णतः स्वामित्वाधीन सहायक कंपनियों में भारतीय प्रत्यक्ष निवेश के.लिए दिशानिर्देश

एफ. सं. 1/2/94-आई.सी.—भारतीय फर्मों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को सुदृढ़, भारत-मूल की बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में विकसित होने के लिए प्रोत्साहित करने और भारतीय फर्मों को विशेषकर विदेशों में व्यापारिक प्रतिष्ठानों के अधिग्रहण के लिए पूंजी खाता लेन-देनों को अपनाने हेतु अधिकाधिक लचीलापन प्रदान करने के उद्देश्य से, यह निर्णय किया गया है कि भारतीय कंपनियों के लिए विदेशों में निवेश के लिए स्वतः मार्ग (ऑटोमैटिक रूट) के अधीन अधिकतम सीमा को विद्यमान 15 मिलियन अमरीकी डालर से बढ़ाकर 50 मिलियन डालर किया जाए और इससे अधिक विदेशों में निवेश संबंधी समिति द्वारा अनुमोदन के माध्यम से किया जाए । तदनुसार, संयुक्त उद्यमों और पूर्णतः स्वामित्वाधीन सहायक कंपनियों में भारतीय प्रत्यक्ष निवेश के लिए वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी समय-समय पर यथासंशोधित दिशानिर्देशों को तत्काल प्रभाव से निम्नप्रकार संशोधित किया जाएगा :-

1. पैराग्राफ 5.1 से 5.7 को निम्नप्रकार प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

श्रेणी " क" स्वतः मार्ग (ऑटोमैटिक रूट)

5.1 एक गैर-सरकारी/सरकारी कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक को पूर्व संदर्भ के बिना, स्वतः आधार पर विदेशों में किसी संयुक्त उद्यम/पूर्णतः स्वामित्वाधीन

सहायक कंपनी में 50 (पचास) मिलियन अमरीकी डालर से अनधिक कुल मूल्य के निवेश तक के प्रत्यक्ष निवेश के लिए पात्र होगी बशर्ते कि :-

(i) निवेश को निवेशकर्ता भारतीय कंपनी द्वारा अपनी केन्द्रीय गतिविधि क्षेत्र के रूप में प्रक्षेपित किया गया हो । केन्द्रीय गतिविधि का निर्धारण निवेशकर्ता कंपनी के कुल टर्नओवर के 50 प्रतिशत के आधार पर किया जाएगा ।

(ii) निवेशकर्ता भारतीय कंपनी में पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान लाभ अर्जित किया हुआ होना चाहिए ।

(iii) निवेश प्रधानतया अचल-सम्पदा के प्रति न हो ।

ऐसे निवेशों का निधिपोषण निम्नलिखित में से एक या अधिक से सम्मिलित स्रोतों द्वारा होगा :-

(i) निवेशकर्ता कंपनियों के ई.ई.एफ.सी. खातों में जमाशेष ।

(ii) अन्य घरेलू स्रोत जिनमें ऋण, इक्विटी और अन्य आकस्मिक देयताएं जैसे गारंटियां शामिल हैं जो निवेशकर्ता कंपनी के पिछले लेखापरीक्षित तुलनपत्र की तारीख को निवेशकर्ता कंपनी की निवल संपत्ति का 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिए ।

(iii) निवेशकर्ता कंपनी द्वारा एडीआर/जीडीआर निर्गमों की आय के 50 प्रतिशत तक।

5.2 ऑटोमैटिक रूट के अधीन किसी भी राशि तक निवेश किया जा सकता है बशर्ते कि निवेशों का निधिपोषण निवेशकर्ता कंपनियों द्वारा जारी एडीआर/जीडीआर निर्गमों की आय के 50 प्रतिशत में से किया गया हो। ऊपर पैराग्राफ 5.1 के अधीन निर्दिष्ट पात्रता शर्तें [सिवाय उप-पैरा 5.1(iii)के] ऐसे मामलों में लागू नहीं होंगी ।

5.3 प्राधिकृत डीलरों द्वारा विदेशों में भारतीय प्रत्यक्ष निवेश संबंधी दिशानिर्देशों के संदर्भ के बिना तथा भारतीय रिजर्व बैंक को संदर्भ भेजे बिना भी ई.ई.एफ.सी खातों में से अधिकतम 50 प्रतिशत अमरीकी डालर तक के निवेशों की अनुमति दी जाएगी । ऐसे मामलों पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथानिर्धारित पृथक कार्यविधियों के अनुसार विचार किया जाएगा ।

5.4 निवेश का भारतीय पक्ष के विवेक पर नकदी प्रेषण के अतिरिक्त, निम्नलिखित के पूर्णतः अथवा आंशिक पूंजीकरण के रूप में अंशदान किया जा सकता है :

(क) विदेशी प्रतिष्ठान को आपूर्ति किए गए भारत निर्मित संयंत्र, मशीनरी,उपकरण और घटक :

(ख) भारतीय पक्ष द्वारा विदेशी प्रतिष्ठान को निर्यात की गई वस्तुओं की आय :

(ग) विदेशी प्रतिष्ठान से तकनीकी जानकारी ,परामर्शदायी, प्रबन्धकीय अथवा अन्य सेवाओं की आपूर्ति के लिए शुल्क,रायल्टियां, कमीशन अथवा अन्य हकदारिताएं ।

5.5 उन मामलों में जहां निवेदक कंपनी एक नई कंपनी हैं और वांछित निवल संपत्ति मानदंड को पूरा नहीं करती है, मूल कंपनी की निवल सम्पत्ति की साख दी जा सकती है,बशर्ते कि निवेदक कंपनी या तो उक्त मूल कंपनी की पूर्णतः स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी हो, अथवा मूल कंपनी का निवेशकर्ता कंपनी में कम से कम 51 प्रतिशत शेयरों पर स्वामित्व हो ।

5.6 उपरोक्त अपेक्षाओं के अतिरिक्त, वित्तीय क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए आवेदनों पर निम्नलिखित नियम लागू होंगे :

(क) विदेशों में संयुक्त उद्यम/पूर्णतः स्वामित्वाधीन सहायक कंपनियों की स्थापना का प्रस्ताव करने वाली वित्तीय सेवा कंपनियों को या तो श्रेणी । मर्चेंट बैंकर के रूप में सेबी में अथवा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी गैर बैंकिंग वित्त कंपनियां (रिजर्व बैंक) निर्देश, 1977 के अधीन पंजीकृत होना चाहिए ।

(ख) कंपनी के पास कम से कम 15 करोड़ रुपए की न्यूनतम निवल सम्पत्ति (प्रदत्त पूंजी + शुल्क प्रारक्षित भंडार) होनी चाहिए ।

(ग) विदेशों में निवेश करने का इरादा रखने वाली वित्त कंपनियों द्वारा 8 प्रतिशत के पूंजी पर्याप्तता अनुपात से संबंधित विवेकपूर्ण मानदंडों को पूरा किया हुआ होना चाहिए।

(घ) भारतीय वित्तीय संस्थाओं की सहायक कंपनियों, जो उक्त कथित मानदंडों के समनुरूप हैं, को भी वित्तीय सेवा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश करने की अनुमति दी जाएगी ।

5.7 निवेशकर्ता कंपनियां 50(पचास) मिलियन अमरीकी डालर की समग्र सीमा के भीतर निम्न में से चुन सकती हैं :-

(i) नकदी प्रेषण ;

(ii) इक्विटी के प्रति निर्यात से आय का पूंजीकरण ;

(iii) भारतीय संयुक्त उद्यमों/पूर्णतः स्वामित्वाधीन सहायक कंपनियों को/उनकी ओर से ऋण या निगमित गारंटियां प्रदान करना । गारंटियां निवेश की संपूर्ण सीमा निर्धारित करने के लिए अंकित मूल्य के 50 प्रतिशत पर ली जाएंगी ।

5.8 जैसा कि सामान्यतः निर्धारित है, विदेशों में भारतीय संयुक्त उद्यमों/पूर्णतः स्वामित्वाधीन सहायक कंपनियों को/उनकी ओर से भारत से बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से ऋणों /और गारंटियों के लिए ऋणों /गारंटियों के लिए यथावश्यक वाणिज्यिक बैंकिंग दृष्टिकोण से अपेक्षित स्वीकृति लिए जाने की आवश्यकता होगी ।

5.9 भारतीय पक्ष को स्वतः मार्ग की यह सुविधा निवेश किए जाने के कैलेण्डर वर्ष सहित तीन कैलेण्डर वर्षों के खंड में केवल एक बार उपलब्ध होगी । तथापि, 50(पचास) मिलियन अमरीकी डालर की तथा इसकी निवल सम्पत्ति के 25 प्रतिशत की हकदारिता की समग्र सीमा के भीतर भारतीय पक्ष को एक से अधिक अवसर पर तथा विदेश में एक से अधिक संयुक्त उद्यम/पूर्णतः स्वामित्वाधीन सहायक कंपनियों में स्वतः मार्ग पर इक्विटी निवेश करने/गारंटी आदि उपलब्ध कराने की अनुमति दी जा सकती है।

5.10 कंपनियों को कंपनी अधिनियम के सभी उपबंधों का अनुपालन करना चाहिए जिसमें बोर्ड का वह संकल्प शामिल है जिसमें यह विनिर्दिष्ट किया गया हो कि ऊपर उल्लिखित मानदंडों का अनुपालन कर लिया गया है । उनके सांविधिक लेखापरीक्षक से यह प्रमाणित करने वाला एक प्रमाणपत्र भी प्राप्त किया जाना चाहिए कि उक्त शर्तों का अनुपालन किया गया है । निवेशों की सूचना देते समय, उपरोक्तानुसार सांविधिक लेखापरीक्षक के प्रमाणपत्र सहित बोर्ड संकल्प की एक प्रति भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत की जानी होती है ।

2. पैराग्राफ 6.1 और 6.2 में निम्नानुसार पढ़े जाने के लिए संशोधन किया जाएगाः-

श्रेणी " ख" सामान्य रूट

6.1 उक्त पैराग्राफ 5.1 में वर्णित प्रयोज्य मानदंड के आधार पर "ऑटोमैटिक रूट" स्वीकृति के लिए अपात्र सभी आवेदनों , पैराग्राफ 5.4 के अन्तर्गत आने वाले सभी आवेदनों तथा 50 मिलियन अमरीकी डालरों से अधिक राशि वाले मामलों पर,भारतीय रिजर्व बैंक में, इन मार्गदर्शिकाओं के पैरा 7.1 में दिए गएं मानंदड को ध्यान में रखते हुए सरकार के परामर्श से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त विद्यमान विशेष समिति के जरिए वित्त मंत्रालय को भेजे बिना कार्रवाई की जाएगी । इस समिति की अध्यक्षता डिप्टी गवर्नर ,भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की जाएगी जिसमें वित्त मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि सदस्यों के रूप में शामिल होंगे । समिति को वित्त मंत्रालय को संदर्भ भेजे बिना सभी प्रस्तावों के बारे में विचार करने और उन्हें स्वीकृत करने का अधिकार प्रदान किया जाएगा । समिति उस क्षेत्रक, जिससे समिति के समक्ष प्रस्तुत मामला संबंधित है, से संबंध में रखने वाले अन्य सचिवों/संस्थाओं को सदस्यों के रूप में सहयोजित करेगी । पूरी तरह से भरे गए आवेदन की प्राप्ति के 60 दिन के भीतर सिफारिश की जाएगी और भारतीय रिजर्व बैंक इन सिफारिशों के आधार पर अनुमति प्रदान करेगा या अस्वीकृत करेगा । इस प्रकार के प्रस्तावों के साथ आवेदनकर्त्ता को एक परियोजना रिपोर्ट/व्यवहार्यता रिपोर्ट तथा चार्टर्ड लेखाकार द्वारा प्रस्तुत किए गए अनुपातों,अनुमानों आदि को सत्यापित करने वाला एक विवरण संलग्न किया जाना चाहिए । यदि विशेष समिति आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्तुत परियोजना रिपोर्ट से सन्तुष्ट नहीं है तो आवेदनकर्ता को उस परियोजना को आईडीबीआई,आईसीआईसीआई, एक्जिम बैंक, भारतीय स्टेट बैंक समूह या कोई अन्य समतुल्य एजेंसी द्वारा मूल्यांकन किए जाने के लिए प्रस्तुत करने के लिए कह सकती है।

6.2 विशेष समिति अन्य बातों के साथ-साथ, दिशानिर्देशों के तहत सभी विदेशी निवेशों के लिए मानदंडों/प्रगति की पुनरीक्षा करेगी और परामर्शों तथा अनुमोदनों के लिए अपनी स्वयं की कार्यविधि तैयार करेगी ।

6.3 विभिन्न मार्गों के तहत विदेशी निवेशों जिनमें विदेशी मुद्रा का बहिर्प्रवाह शामिल है,को इस प्रयोजन के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित वार्षिक सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए । वार्षिक सीमा की गणना केवल नकद प्रेषण के संदर्भ में की जाएगी । और उसमें एडीआर/जीडीआर वसूलियां /स्टाक विनिमय/गारंटियां शामिल नहीं होंगी ।

3. उप-पैराग्राफ 2.3 (iii) और 2.3 (iv) हटा दिए जाएंगे ।

4. उप-पैरा 2 (iv) के तहत पैरा की पंक्ति 1 में दी गई क्रम संख्या"(iv)" को "(ii)" क्रम संख्या द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

5. पैराग्राफ 9 का हटा दिया जाएगा ।

6. विदेशों में विभिन्न उद्योगों को स्थापित करने में सहायता से संबंधित केन्द्रीय उत्तरदायित्व वाणिज्य विभाग से वित्त मंत्रालय को स्थानान्तरित कर दिया गया है । इसके परिणामस्वरूप विदेश में संयुक्त उद्यम /पूर्णतः स्वामित्वाधीन सहायक कंपनियों में भारतीय प्रत्यक्ष निवेश के लिए दिशानिर्देश वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) द्वारा प्रशासित किए जाएंगे ।

7. इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख भारतीय रिजर्व बैंक के पास लम्बित विदेशी निवेशों के लिए विद्यमान प्रस्तावों के बारे में भी संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार विचार किया जा सकता है ।

जी. एस. दत्त, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th April, 2000

GUIDELINES FOR INDIAN DIRECT INVESTMENT IN JOINT VENTURES AND WHOLLY OWNED SUBSIDIARIES ABROAD

F. No.1/2/94-IC.—In order to encourage Indian firms and businesses to grow into strong, India-based multinationals and to accord Indian firms increasing flexibility to undertake capital account transactions, especially for acquisitions of businesses abroad, it has been decided to increase the ceiling under the automatic route for overseas investments from the existing US$ 15 million to US$ 50 million for Indian companies and beyond this, through approval by the Committee on Overseas Investments. Accordingly, the guidelines issued by the Ministry of Commerce for Indian Direct Investment in Joint Ventures and Wholly owned subsidiaries abroad, as amended from time to time, shall be amended as under with immediate effect:-

1. The paragraphs 5.1 to 5.7 shall be substituted as follows:-

Category 'A" Automatic Route

5.1 A private/public limited company will be eligible for direct investment in a joint venture/wholly owned subsidiary abroad on an automatic basis, without prior reference to RBI upto a total value of investment not exceeding US$ 50 (fifty) million provided :-

(i) Investment is projected by investing Indian company in its core activity area. Core activity shall be determined on the basis of 50% of total turnover of the investing company.

(ii)The investing Indian company should have earned profits during the preceding three years.

(iii) Investment is not predominantly real estate – oriented.

The funding of such investments shall be by one or a combination of the following sources:-

(i) Balances in EEFC accounts of investing companies.

(ii) Other domestic resources including loans, equity and other contingent liabilities like guarantees which should not exceed 25% of net worth of investing company as on the date of last audited balance sheet of the investing company.

(iii) Upto 50% of the proceeds of ADR/GDR issues by investing company.

5.2 Investment upto any amount can be made under the automatic route provided the investments are funded out of 50% of the proceeds of ADR/GDR issued by investing companies. The eligibilty conditions stipulated under paragraph 5.1 (excepting sub para 5.1 (iii)) above shall not be applicable in such cases.

5.3 Investments up to a maximum of US$ 50 million shall be permitted out of EEFC accounts by the Authorised Dealers without reference to the guidelines on Indian direct investment abroad and also without reference to the RBI. Such cases shall be considered in terms of separate procedures as prescribed by the Reserve Bank of India.

5.4 The investment may, besides cash remittance at the discretion of the Indian party, be contributed by the capitalisation in full or in part of :

(a) Indian made plant, machinery, equipment and components supplied to the foreign concern:

(b) the proceeds of goods exported by the Indian party to the foreign concern:

(c) fees, royalties, commissions or other entitlements from the foreign concern for the supply of technical know-how, consultancy, managerial or other services.

5.5 In cases where the applicant company is a new company and does not meet the requisite net worth criteria, credit may be given to the parent company's net worth, provided the applicant company is either a wholly Owned subsidiary company of the said parent company, or the latter owns at least 51% shares in the former.

5.6 Apart from the above requirements, the following shall apply to applications for overseas direct investment in the financial sector:

(a) Financial services companies proposing to set up JV/WOS overseas, should either be registered with SEBI as Category I Merchant Banker or as an NBFC under the Non-Banking Finance Companies (Reserve Bank) Directions, 1977 issued by RBI from time to time.

(b) the company should have a minimum net worth (paid -up capital + fee reserves) of Rs. 15 crores.

(c) Finance companies seeking to make overseas investments should have fulfilled the prudential norms relating to capital adequacy ratio of 8%.

(d) Subsidiaries of Indian financial institutions which are conforming to the above said norms will also be permitted to make overseas direct investment in the financial services sector.

5.7 Within the overall limit of US$ 50 (fifty) million investing companies may opt for:-

(i) cash remittance;

(ii) capitalisation of export proceeds towards equity; or

(iii) giving loans or corporate guarantees to/on behalf or Indian JVs/WOSs. Guarantees shall be taken at 50% of the face value for determining the overall limit of investment.

5.8 For loans/guarantees from banks/financial institutions from India to/on behalf of Indian JVs/WOSs abroad, requisite clearance from commercial banking angle for loans and guarantees as required would need to be taken as normally prescribed.

5.9 This facility of automatic route will be available to the Indian party only once in a block of three calendar years including the calendar year in which the investment is made. However, within the overall limit of US$ 50 (fifty) million and its entitlement 25% of the net worth, the Indian party may be permitted to invest equity/provide guarantee etc. on the automatic route on more than one occasion and in more than one JV/WOS abroad.

5.10 Companies should comply with all provisions of the Companies Act including Board Resolution specifying clearly that the norms indicated above have been complied with. A certificate from their Statutory Auditor certifying that the above conditions have been complied with should also been obtained. A copy of the Board Resolution along with the Statutory Auditor's certificate as above is to be furnished to be RBI while reporting the investments.

2. Paragraphs 6.1 and 6.2 shall be amended to read as under:-

1034 GI/2000

Category 'B' Normal Route

6.1 All applications not qualifying for "Automatic Route" clearance on the basis of the applicable criteria outlined in paragraph 5.1 above, all applications covered by paragraph 5.4 and the cases in excess of US$ 50 million will be processed in the RBI, without reference to Ministry of Finance, through the existing Special Committee appointed by RBI in consultation with the Government keeping in view the criteria laid down in para 7.1 of these guidelines. The Committee shall be chaired by the Deputy Governor, RBI with representatives of the Ministry of Finance, Ministry of Commerce, Ministry of External Affairs and the RBI as members. The Committee will be empowered committee to consider and clear all proposals without reference to Ministry of Finance. The Committee shall co-opt as members other Secretaries/Institutions dealing with the sector to which the case before the Committee relates.

A recommendation will be made within 60 days of receipt of the complete application and RBI will grant or refuse permission on the basis of the recommendations. Such proposal should be accompanied by a Project Report/Feasibility Report submitted by the applicant and by a statement from a Chartered Accountant verifying the ratios, projections made etc. If the Special Committee is not satisfied with the Project Report submitted by the applicant, it may require the applicant to submit the project to an appraisal by IDBI, ICICI, Exim Bank, SBI cap or any other similar agency.

6.2 The Special Committee will inter-alia, review the criteria for and progress of all overseas investments under the guidelines and evolve its own procedure for consultations and approvals.

6.3 The overseas investments under various routes involving outflow of foreign exchange should not exceed the annual limit fixed by the Ministry of Finance for the purpose. The annual limit shall be reckoned with reference to cash remittance only and shall not include ADR/GDR realisations/Stock Swap/Guarantees.

3. Sub-paragraphs 2.3(iii) and 2.3(iv) shall stand deleted

4. Sl. No. " (iv)" appearing in line 1 of the para under sub para 2 (iv) shall be substituted by Sl. No. " (ii)".

5. Paragraph 9 shall stand deleted.

6. The nodal responsibility relating to assistance in establishing various industries in foreign countries stands transferred from Department of Commerce to Ministry of Finance. Consequently guidelines for Indian direct investments in JV/WOS abroad shall be administered by the Ministry of Finance (Deptt. of Economic Affairs).

7. The existing proposals for overseas investments which are pending with RBI on the date of issue of this Notification may also be considered in terms of the amended Guidelines

G. S. DUTT, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.